सावधि ऋण स्वीकृतियों के तहत साख पत्र खोलने (एल/सी) के लिए सुविधा पत्र (एलओसी) जारी/बढ़ाने के लिए नीति

सावधि ऋण की सभी स्वीकृतियों के लिए सुविधा पत्र (एलओसी) जारी किए जा सकते हैं, जहां ईपीसी/उपकरण आपूर्ति अनुबंध हेतु साख पत्र खोलना, एक अनिवार्यता है, जो उधारकर्ता को अपने बैंकरों के पास साख पत्र खोलने(एल/सी) में सक्षम बनाता है ।

सुविधा पत्र, निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन जारी किया जाएगा :-

1) संबंधित परियोजना मूल्यांकन यूनिट द्वारा अनुबंध एवं एल/सी शर्तों के आधार पर एलओसी जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। मूल्यांकन यूनिट द्वारा केस-दर-केस आधार पर सुविधा पत्र जारी करने के लिए पूर्व-निर्धारित विशेष निबंधन एवं शर्तों की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। सभी पूर्व-संवितरण शर्तों का अनुपालन विधिवत रूप से निम्नलिखित संवितरण प्रक्रियाओं के अनुसार होने पर ही, एलओसी जारी की जा सकती है ।

2) एलओसी की वैधता, एल/सी की धनराशि एवं उसमें निर्दिष्ट अवधि की आवश्यकता के अनुसार होगी।

3) एलओसी जारी करने के लिए अधिकतम सीमा, पीएफसी के निवल मूल्य के 100 प्रतिशत तक सीमित होगी अर्थात किसी भी सुविधा पत्र में कवर लंबित राशि, पीएफसी निवल मूल्य के 100 प्रतिशत से अधिक नही होगी। तद्नुसार सुविधा पत्र जारी करने से पूर्व, संवितरण यूनिट से उपलब्ध जोखिम सीमा की उपलब्धता की पुष्टि कर ली जाए। पीएफसी की लेखा यूनिट द्वारा समय-समय पर निवल मूल्य अधिसूचित किया जाएगा ।

4) जारी सभी सुविधा पत्र (एलओसी) में विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाएगा कि उधारकर्ता, सुविधा पत्र/साख पत्र की एवज में बायर लाईन आफ क्रेडिट (बीएलसी) / बायर क्रेडिट (बीसी) या उसी प्रकार की व्यवस्था/तंत्र के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि पीएफसी द्वारा विशेष रूप से लिखित में अनुमति दी गई हो ।